राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 110/2016
सज्जन कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. अति. निदेशक (प्रशा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधानाचार्य, सरदार पटेल आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 24.11.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह तथ्य अंकित किये गये हैं कि अपीलार्थी दिनांक 31.07.2012 को सेवानिवृत्त हो चुका है। उसे मंहगाई भत्ते पर अन्तर राशि का भुगतान नहीं किया गया है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि विभाग के द्वारा मंहगाई भत्ते की अन्तर राशि के संबंध में कोष कार्यालय में प्रेषित किया जाने वाला बिल राशि रूपये 12636/– का मैन्युल बिल तैयार है। पे–मैनेजर सॉफ्टवेयर में शिकायत नं0–5180 दर्ज है, अपीलार्थी जब तक बंध पत्र भर कर विभाग को नहीं देता तो भुगतान करना सम्भव नहीं है।
3. प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए एवं प्रत्यर्थी के जवाब को ध्यान में रखते हुए यह प्रकट होता है कि प्रत्यर्थी विभाग मंहगाई भत्ते की अन्तर राशि के सम्बन्ध में कोष कार्यालय में प्रेषित किया जाने वाला बिल राशि रूपये 12636/–रूपये का मैन्यूल बिल तैयार है, परन्तु अपीलार्थी द्वारा बंध पत्र भरकर विभाग को नहीं दिये जाने के कारण भुगतान नहीं किया गया है।
4. उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि मंहगाई भत्ते की अन्तर राशि का भुगतान अपीलार्थी को समस्त प्रक्रिया पूरी कर नियमानुसार अदा करें।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)